

# यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 62/2018

| वादी  | बनाम | प्रतिवादी   |
|---|------|---|
| 1 सोहनलाल पुत्र सिद्धाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला, गरल तहसील व जिला बाड़मेर। |      | 1 सिद्धाराम पुत्र शंभुराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला, गरल तहसील व जिला बाड़मेर। |

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :-

1. श्री वीरमाराम, वकील वादी।
2. श्री मोहनलाल, वकील प्रतिवादी।

### निर्णय

दिनांक 06.08.2018

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी का परिवार संयुक्त हिन्दु परिवार है और हिन्दु विधि से शासित होते हैं। पक्षकारान की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम सुथारों का तला में स्थित खसरा नम्बर 437 रकबा 0.14 बीघा एवं खसरा संख्या 632/438 रकबा 30.06 बीघा कुल रकबा 31.00 बीघा की आई हुई है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है। वादी उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी ने ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त परिवार होने से तथा प्रतिवादी ने वादी जो उसका जायन्दा पुत्र है, को पैतृक भूमि में 1/2 हिस्से में खातेदार घोषित किये जाने हेतु दोनों पक्षकारान द्वारा राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे वाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली के अभिलेख पर उपलब्ध जमाबन्दी चौसाला ग्राम सुथारों का तला सम्वत् 2070 से 2073 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सिद्धाराम पुत्र शंभुराम जाति जाट की खातेदारी में अंकित है। दोनों पक्षों ने यह भी स्वीकार किया कि सिद्धाराम के 02 जायन्दा पुत्रियां माया एवं कमला भी हैं, जिन्होंने अपना हकतर्क नामा वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में निस्पादित करा दिया है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है एवं उसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का जन्म से अधिकार उत्पन्न हो जाता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माफिक राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम सुथारों का तला में स्थित खसरा नम्बर 437 रकबा 0.14 बीघा एवं खसरा संख्या 632/438 रकबा 30.06 बीघा कुल रकबा 31.00 बीघा भूमि में वादी सोहनलाल का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सिद्धाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी

वनाम

प्रतिवादी

1 सोहनलाल पुत्र सिद्धाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला, गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

1 सिद्धाराम पुत्र शंभुराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला, गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 62/2018

निर्णय दिनांक :- 06.08.2018

वकील वादी व वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.08.2018 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माफिक राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम सुथारों का तला में स्थित खसरा नम्बर 437 रकबा 0.14 बीघा एवं खसरा संख्या 632/438 रकबा 30.06 बीघा कुल रकबा 31.00 बीघा भूमि में वादी सोहनलाल का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सिद्धाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

दी गई।



*(Handwritten signature)*

(नीरज मिश्र)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

| वादी                            | रूपया | प्रतिवादी                     | रूपया |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प       |       | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       | अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       | प्लीडर की फीस                 |       |
| 4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस  |       | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       | आदेशिका की तामील              |       |
| 6 कमिश्नर की फीस                |       | कमिश्नर की फीस                |       |
| 7 आदेशिका की तामील              |       |                               |       |
| जोड़                            |       | जोड़                          |       |